तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पप्पाराम़ बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या : 172 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पप्पाराम पुत्र घेंवरराम निवासी पाटिया बेरा, बालरवा पंचायत समिति व तहसील तिवरी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.09.17 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व कैम्प सन् 2002 में पटवार मण्डल बालरवा मे खसरा संख्या 499 / 10 गै.मु. रास्ता आवंटन की फाईल की सम्पूर्ण नकल व अन्य 5 बिन्दुओं, से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1523 दिनांक 0811.17 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील तिवरी से संबंधित होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार तिवरी को जरिये पत्रांक 1287 दिनांक 15.09.17 को प्रेषित किया गया तथा पत्र की प्रति प्रार्थी को भी दी गई। उपखण्ड अधिकारी औसियां से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना–पत्र तहसीलदार तिंवरी के पास विचाराधीन है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार तिवरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे , अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	